

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-50/2019

1. लखविन्द्रसिंह } पि० बचनसिंह जाति रायसिंह निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी  
2. बलविन्द्रसिंह } जिला हनुमानगढ़। वादीगण

बनाम


1. कशमीरसिंह पुत्र दरबारसिंह  
2. मलकीतसिंह पुत्र छिन्द्रसिंह  
3. सरजीतसिंह पुत्र बलदेवसिंह  
4. कुलदीपसिंह पुत्र बलदेवसिंह  
5. मनजीतसिंह पुत्र बलदेवसिंह
- कौम रायसिंह निवासीयान मल्लड़खेड़ा तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़ वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई श्री रतनलाल शर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी सं० 1 लखविन्द्रसिंह को चकनं० 8 एमकेएस के खाता सं० 46/139 में से प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1.443 है० में से 0.633 है० ख.वादीसं० 2 बलविन्द्र सिंह को चकनं० 8 एमकेएस के खाता सं० 46/139 में से प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1.443 है० में से 0.556 है० ग. प्रतिवादीसं० 2 मलकीतसिंह को चकनं० 10 एम.के.एस ए के खाता सं० 53/141 में से दर्ज 5.060 है० में से प्रतिवादी के 1/10 हिस्सा में से .151 है० घ.प्रतिवादीसं० 3 सरजीतसिंह को चकनं० 10 एम.के.एस ए के खाता सं० 53/141 में से दर्ज 5.060 है० में से प्रतिवादी के 1/10 हिस्सा में से .203 है०, ङ.प्रतिवादीसं० 4कुलदीपसिंह को चकनं० 8 एमकेएस के खाता सं० 46/139 में अंकित प्रतिवादी के 1.443 है० में से .203 है० च.प्रतिवादीसं० 5 मनजीतसिंह को चकनं० 8 एमकेएस के खाता सं० 46/139 में अंकित प्रतिवादी के 1.443 है० में से .051 है० तथा चकनं० 10 एम.के.एस ए के खाता सं० 53/141 में से दर्ज 5.060 है० में से प्रतिवादी के 1/10 हिस्सा में से .152 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 10 एम.के.एस.ए के खाता सं. 53/141 व चकनं० 8 एम.के.एस के खाता सं० 46/139 में से प्रतिवादीसं० 1 कशमीरसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....

.....अदा करें।  
वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...13-8-19.....को  
जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी